कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 1007 /14 –1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 26|11| 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय :– जनपद मेरठ से प्रयागराज **(Ch-7+900 से 601+847Km.)** तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद सम्भल के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 4.0520 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 668 वृक्षों व 3355 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– **Online Submission Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में यूपीडा के द्वारा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से बनाये जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 4.0520 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 668 वृक्षों व 3355 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में वेबसाईट पर पार्ट–2 की ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुये 04 प्रतियों में संस्तुति सहित मूल में संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। इस परियोजना से सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से वन एवं वन्य जीवों के हित प्रभावित नहीं होंगे। कृपया अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नक:–प्रस्ताव की 04 प्रतियां मूल में।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।